Australian Government
Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications

Queensland Government

सुलभ सार्वजनिक परिवहन के लिए अक्षमता मानदंड का सुधार (Disability Standards for Accessible Public Transport) : चरण 2 परामर्श नियमन प्रभाव वक्तव्य का संक्षिप्त विवरण

परिचय

अक्षम लोगों के लिए, समुदाय तथा अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सार्वजनिक यातायात की सुलभता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सुलभ सार्वजनिक परिवहन अक्षमता मानदंड (Disability Standards for Accessible Public Transport) 2002 (परिवहन मानदंडों) में यह सुनिश्चित करने के लिए सुधार करने हेतु क्वींलैण्ड सरकार के साथ भागीदारी की है कि ये मानदंड योग्य और प्रभावशाली, उद्देश्य के लिए उचित और ऑस्ट्रेलियाई समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हों। इस समीक्षा में परिवहन मानदंडों में सुधार के तरीकों पर विचार किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये मानदंड सार्वजनिक परिवहन के संदर्भ में अक्षम लोगों के साथ भेदभाव को हटाने के अपने उद्देश्य को पूरा करें।

इस सुधार प्रक्रिया के दो चरण हैं। 2021 के प्रारंभिक महीनों में, परिवहन मानदंडों के 16 सुधार क्षेत्रों के बारे में ऑस्ट्रेलियाई जनता के साथ परामर्श किया गया था। इसमें की गई टिप्पणियों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और उसके आधार पर इस सुधार प्रक्रिया के चरण 1 के लिए एक डिसिज़न रेगुलेशन इम्पैक्ट स्टेटमेंट (RIS) तैयार किया गया था, जिस पर परिवहन मंत्रियों ने फरवरी 2022 में विचार किया था। चरण 1 के सुधारों के बारे में जानकारी आधारभूत संरचना, परिवहन, क्षेत्रीय विकास तथा संचार विभाग (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communication) की वेबसाइट https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/transport-accessibility/reform-disability-standards-accessible-public-transport-2002/stage-1-reforms पर पाई जा सकती है।

वह एक उपयोगी प्रक्रिया थी और ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब इस सुधार प्रक्रिया के चरण 2 में सहायता के लिए आपकी टिप्पणियाँ चाहती है। चरण 2 परामर्श RIS के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श मार्च से अगस्त 2022 तक चालू है।

परामर्श प्रक्रिया को समझना

इस परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य इस मुद्दे की विशालता और उससे लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने, जिन परिस्थितियों में भेदभाव की संभावना ज्यादा होती है उनके बारे में और अधिक जानने, तथा सभी साझेदारों पर इन प्रस्तावित सुधारों के प्रभावों को समझने, और साथ यह पता लगाने में कि नीति के प्रस्तावित विकल्पों के उनके उद्देश्यों को पूरा करने की संभावना है या नहीं, हमारी सहायता करना है।

चरण 2 में उन 54 क्षेत्रों में सुधार शामिल है जो विभिन्न मुद्दों से जुड़े हैं, और इसमें परिवहन मानदंडों में प्रमुख सुधार, और साथ ही छोटे-मोटे अपडेट्स भी शामिल हैं। सुधार क्षेत्रों को परामर्श RIS में 61 हिस्सों में बाँटा गया है (चरण 1: अवपालना पद्धति सहित) ताकि आपको इन सुधारों की विषय-वस्तु को समझने में सहायता मिल सके और आप अलग-अलग मुद्दों पर विशेष रूप से टिप्पणियाँ कर सकें।

54 सुधार क्षेत्र विचार-विमर्श के लिए बहुत ज्यादा क्षेत्र हैं। चरण 2 के परामर्श RIS में हिस्सा लेने और परामर्श RIS का जवाब देने में आपकी सहायता के लिए, कई सहायक दस्तावेज़ों और संसाधनों की रचना की गई है, जिनमें एक संक्षिप्त परामर्श और सुधार क्षेत्र तथ्य पत्रक, तथा आपके लिए टिप्पणियाँ देने के अलग-अलग तरीके शामिल हैं।

ये संसाधन इस विभाग की वेबसाइट: https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/transport-accessibility/reform-disability-standards-accessible-public-transport-2002/stage-2-reforms पर उपलब्ध हैं।

आप परामर्श RIS को पूरा या इसका कुछ अंश, आपके उद्योग, रुचि, या निजी परिस्थिति से संबंधित हिस्सा पढ़ सकते हैं। आप अलग-अलग सुधार क्षेत्रों या संपूर्ण परामर्श और/या आपकी या दूसरों (जो खुद के लिए बोलने में सक्षम नहीं है) की कहानियाँ साझा करके अपनी टिप्पणियाँ भेज सकते हैं, इस टिप्पणियों में इस बारे में आपके विचार भी शामिल हो सकते हैं कि, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए और अक्षम लोगों के साथ भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है।

अपनी बात कहें

ऑस्ट्रेलियाई सरकार चरण 2 के सुधार क्षेत्रों के बारे में भी सुझाव माँग रही है, इसमें इस बारे में भी सुझाव शामिल है कि, इन मुद्दों और प्रस्तावित विकल्पों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है (जैसे कि इन सुधारों से जुड़ी लागतों और लाभों का), और क्या प्रस्तावित विकल्पों से अक्षम लोगों के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुलभता में सुधार होगा।

परामर्श RIS में प्रत्येक सुधार क्षेत्र के लिए प्रश्न दिए गए हैं ताकि आपको अपना जवाब देने में सहायता मिल सके।

आप निम्नांकित तरीकों से परामर्श का जवाब दे सकते हैं और अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं:

- लिखित में, वीडियो या ऑडियो रिकार्डिंग को DisabilityTransport@infrastructure.gov.au पर ईमेल करके
- 1800 621 372 पर टेलीफोन द्वारा (निःशुल्क कॉल)

- https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/transport-accessibility/reform-disability-standards-accessible-public-transport-2002/stage-2-reforms पर उपलब्ध ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से
- मई से जुलाई 2022 तक आयोजित वर्कशॉप्स में हिस्सा लेकर

उन लोगों के लिए जो अंग्रेज़ी का एक अतिरिक्त भाषा के रूप में उपयोग करते हैं और जिनको परामर्श RIS को पढ़ने और उसका जवाब देने में सहायता की ज़रूरत है, अनुवाद और दुभाषिया सेवा राष्ट्रीय (TIS नेशनल) 120 से भी अधिक भाषाओं और बोलियों में सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। TIS नेशनल से 131 450 पर संपर्क किया जा सकता है।

अगले कदम

परामर्श के दौरान एकत्र की गई टिप्पणियों से इस सुधार प्रक्रिया के चरण 2 के लिए परिणाम RIS की प्रगति का पता चलेगा। इसे परिवहन मंत्रियों के पास विचार के लिए भेजा जाएगा, और इसमें उन साझेदारों की सूची होगी जिनसे परामर्श किया गया है, उनके दृष्टिकोण का संक्षिप्त विवरण, और हरेक क्षेत्र की लागतों और लाभों का विश्लेषण होगा।

परिवहन मंत्रियों द्वारा परिणाम RIS पर विचार किए जाने के बाद इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा।

अधिक जानकारी

इस सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में भाग कैसे लिया जा सकता है उस बारे में जानकारी आधारभूत संरचना, परिवहन, क्षेत्रीय विकास तथा संचार विभाग (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communication) की वेबसाइट https://www.infrastructure.gov.au/infrastructure-transport-vehicles/transport-accessibility/reform-disability-standards-accessible-public-transport-2002 पर उपलब्ध है।

आप हमसे टेलिफोन द्वारा 1800 621 372 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

चरण 2 सुधार क्षेत्र

सूचित करना और अनुपालन

1. सूचित करने के अनुपालन के लिए परिवहन मानदंडों के अनुसार आवश्यकतओं का निर्धारण करना।
2. सार्वजनिक परिवहन स्थलों की सुलभता के बारे में जनता को बताने के लिए नई आवश्यकताएँ निर्धारित करना।
3. समान रूप से सुलभता के उपायों को अपनाने के लिए विश्वास बढ़ाना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि समान रूप से सुलभता के कारण उपलब्धता में कमी न आए।
4. इस सुधार प्रक्रिया के भाग के रुप में परिवहन मानदंडों पर सहमति से संबंधित किसी भी तरह की नियामक आवश्यकताओं की अवपालना से संबंधित आवश्यकताएँ निर्धारित करना।

वाहनों की गुंजाइश

5. राइडशेयर सेवाओं से संबंधित शर्तों से जुड़ी अनिश्चितताओं पर ध्यान देना।

6. समर्पित स्कूल बसों के लिए मोबिलिटी (गतिशीलता) सहायक सुलभता से संबंधित छूटों को खत्म करना।

चढ़ने के स्थानों और चढ़ने में सहायक उपकरणों की सुलभता

7. यह सुनिश्चित करना कि प्रमुख बस अड्डों की पहचान समान हो।
8. नौकाओं, हल्की रेल, ट्राम, और बसों में चढ़ने के स्थानों से संबंधित तकनीकी मुद्दों, जैसे कि ग्रेडिएंट (ढलानयुक्त पादचारी) तथा क्रॉसफॉल किनारे की तरफ ढलान से जुड़ी आवश्यकताओं को स्पष्ट करना।
9. नामांकित सहायता स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करना जहाँ से यात्रियों को सीधे सहायता और जहाँ स्वतंत्र रूप से चढ़ने की व्यवस्था नहीं हो सकती वहाँ, चढ़ने में सहायता मिल सके।
10. चढ़ने में सहायता के आग्रह के संकेतों से संबंधित आवश्यकताओं को स्पष्ट करना, तथा ऑस्ट्रेलियाई मानदंड संदर्भों को अपडेट करना।
11. यह सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और उनका विश्वास बढ़ाने के लिए, चढ़ने में सहायक पोर्टेबल उपकरणों में किनारे पर अवरोध हों।
12. जल परिवेश में, भूमि परिवेश में काम आने वाले चढ़ने के रैम्प के अलावा, जहाज पर चलने के सकरे, हटाए जा सकने वाले गलयारों का उपयोग हो, यह स्पष्ट करना।
13. हटाए जा सकने वाले, जो पैदल चलने वालों के लिए काम में आने वाले चढ़ने के रैम्प्स से अलग, गलियारों के लिए विशेष आवश्यकताओं को निर्धारित करना।

साइन बोर्ड्स, चिन्ह, ब्रैल और उभारयुक्त अभिलेख

14. साइन बोर्ड्स की ऊँचाई और जगमगाहट के संबंध में ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम मानदंडों को अपनाने का अवसर है।
15. साइन बोर्ड्स के स्थान (लोकेशन) के संबंध में ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम मानदंडों को अपनाने का अवसर है।
16. चिन्हों से संबंधित ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम मानदंडों को अपनाने का अवसर है।
17. साइन बोर्ड्स पर ब्रैल और उभारयुक्त अभिलेख के स्तर और जटिलता के मानदंडों को स्पष्ट करना।
18. यदि ब्रैल में जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही हो तो ब्रैल के अपेक्षित मानदंडों को स्पष्ट करना।

सूचना तथा संचार तकनीकी (ICT) और किराया प्रणालियाँ

19. यह सुनिश्चत करना कि किराये के भुगतान और प्रमाणीकरण के साधन सुलभता से उपलब्ध हों तथा डिजिटल तकनीकी के उपयोग को दर्शाने के लिए परिवहन मानदंडों को अपडेट करना।
20. किराया प्रणाली के साधनों, जैसे कि प्रवेश द्वार, प्लेटफॉर्म प्रमाणीकारक, प्रमाणन उपकरण या हवाई अड्डों में चैकइन एलिमेंट्स आदि के स्थान के बारे में स्पष्ट आवश्यकताएँ निर्धारित करना।
21. ICT उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सुलभता आवश्यकताएँ तय करना।

प्रतीक्षा के स्थान और बैठने के लिए यथोचित व्यवस्था

22. प्रतीक्षा के स्थानों में उपलब्ध जगहों का अनुपात स्पष्ट करना और प्रतीक्षा के स्थान को स्पष्ट रूप से वर्णित करना।
23. प्रतीक्षा के स्थानों में प्राथमिकता सीटों को स्पष्ट रूप से वर्णित करना।
24. बुक की गई सेवाओं के लिए सुलभ सीटों को रोकने की वर्तमान आवश्यकताओं का विशेष वर्णन करना, तथा रोकी जाने वाली सीटों का उचित विवरण उपलब्ध करवाना।

लिफ्ट्स

25. ऑस्ट्रेलियाई मानदंड संदर्भों को AS1735.12 (2020) से अपडेट करना और लिफ्ट्स के लिए और अधिक सुलभता वाली आवश्यकताओं जैसे कि पहुँचने और रास्ता बताने वाली जानकारी की सुनाई देने वाली घोषणा, पहुँचने की स्पर्शयुक्त पहचान, आपातकालीन बातचीत, और श्रवण यंत्र काम में लेने वालों के लिए सुनाई देने वाली जानकारी को अपनाना।
26. एस्कालेटर्स और ट्रेवलेटर्स के लिए क्लियर स्थान की न्यूनतम चौड़ाई तय करना।

वाहनों में सुरक्षा

27. सक्रिय अवरोधों के लिए तकनीकी मानदंड की पहचान और वर्णन करना तथा यह बताना कि वे कब अनिवार्य होंगे
28. अप्रतिरोधी अवरोधों को स्पष्ट करना और यह स्पष्ट करना कि मोबिलिटी (गतिशील) सहायक उपकरण का आना-जाना किस तरह निर्धारित जगहों में ही सीमित रहना चाहिए।
29. यात्री सुरक्षित रूप से वाहनों में बैठ सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के स्टॉप्स पर ठहरने को आवश्यक बनाना।
30. निश्चित जगहों में हाथ से पकड़ने वाली रेलिंग्स का नक्शा और चमक कॉन्ट्रास्ट की आवश्यकताएँ बताना।

वाहन और आधारभूत संरचना सुलभ मार्ग

31. पदयात्री सुरक्षित रूप से आ-जा सकें, इसके लिए ट्रेन, हल्की रेल और ट्राम नैटवर्क्स के मार्ग में उभरे हुए किनारे वाले गैप्स सुनिश्चित करना।
32. प्रवेश मार्गों की निरंतर सुलभता सुनिश्चित करने के लिए अलग से आवश्यकताएँ स्पष्ट करना।
33. सीढ़ियों और रैम्प में लगी हाथ से पकड़ी जाने वाली रेलिंग के पुलियाओं और भूमिगत मार्गों से होकर निरंतर गुजरने की आवश्यकता निर्धारित करना।
34. प्रवेश मार्गों के स्व-चालित दरवाजों के लिए सुलभता की आवश्यकताएँ तय करना।
35. प्रवेश मार्गों में आराम बिंदुओं के लिए निर्धारित स्थानों को शामिल करने के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करना।
36. वाहनों की सीढ़ियों के संबंध में ऑस्ट्रेलियाई मानदंडों के पुराने हो जाने के संकेतों पर ध्यान देना।
37. वाहनों के दरवाजों की ऊँचाई और चमक का कॉन्ट्रास्ट तय करना।
38. वाहनों के प्रवेश मार्ग में हाथ से पकड़ने वाली रेलिंग्स के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करना।

शौचालय, टैक्सी स्टैंड, लोडिंग ज़ोन्स तथा पार्किंग जगहें

39. टैक्सी स्टैंड्स के का विवरण तय करें ताकि वहाँ सुलभता से पहुँचना सुनिश्चित हो सके।
40. सड़कों पर यात्रियों के चढ़ने उतरने की जगहों में व्हीलचेयर के लिए सुलभ टैक्सी तथा छोटे वाहनों में चढ़ने की जगहों को चिन्हित करना।
41. सड़क के बाहर की जगहों पर पार्किंग में अक्षमों के लिए सुलभ पार्किंग की जगहें तथा आसानी से आने जाने के लिए ऐसे सुलभ मार्गों की आवश्यकता निर्धारित की जाए ताकि प्रवेश बिन्दुओं तक जाने की दूरी कम से कम हो सके।
42. सुनिश्चित करना कि शौचालय में बाँयी और दाँयी दोनों तरफ उपयोग साधनों की व्यवस्था (कन्फिगुरेशन) समान अनुपात में हो।
43. एबुलेंट (जिन लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है, उनके लिए) सुलभ शौचालयों के लिए आवश्यकताएँ निर्धारित करें।

44. शौचालयों में आपातस्थिति बटनों तक फर्श या टॉयलेट सीट से पहुँचा जा सके उसके लिए आवश्यकता निर्धारित करें।

सूचना तथा संचार

45. वहाँ, आधारभूत संरचना और परिसरों में सुनने से संबंधित ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम मानदंड संदर्भों को अपनाने का अवसर है, जो परिसर मानदंडों तथा संदर्भ सहायक श्रवण प्रणालियों के अनुरूप हों।
46. छपाई के साइज़ तथा स्वरूप के लिए सर्वोत्तम अभ्यास आवश्यकताएँ तय करना।
47. सूचना को उचित समयावधि में प्रदान किए जाने की आवश्यकता तय करना।
48. मोबाइल वैब प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सुलभता आवश्यकताएँ तय करना।
49. यह सुनिश्चित करना कि यात्रीगण सार्वजनिक परिवहन संचालकों से परिवहन साधनों में चढ़ने से पहले, यात्रा के दौरान, तथा उतरने के बाद वास्तविक समय (रीयल टाइम) में बात कर सकें।
50. यह सुनिश्चित करना कि यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान दृश्यात्मक तथा ऑडियो स्वरूपों के माध्यम से उनकी लोकेशन के बारे में समान रूप से जानकारी मिलती रहे।
51. वहाँ चाहनों में सुनने से संबंधित ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम मानदंड संदर्भों को अपनाने का अवसर है।
52. वहाँ चिन्हों से संबंधित ऑस्ट्रेलिया के नवीनतम मानदंड संदर्भों को अपनाने का और चढ़ने और उतरने से संबंधित वर्तमान आवश्यकताओं को स्पष्ट करने अवसर है।

प्रकाश की व्यवस्था

53. लाइटों के तापमान, निरंतरता, प्रकार, बदलने और सामानों पर उनके प्रभाव के बारे में नए शोध पर ध्यान देते हुए प्रकाश की आवश्यकताओं का आधुनिकीकरण करना।
54. खंभों और अवरोधों के लिए ल्युमिनेंस कॉन्ट्रास्ट की गणना करने के लिए एक कार्यप्रणाली का निर्देश देना और ऐसी सतहों की पहचान करना जिनके ऊपर, सामानों पर पर्याप्त ल्यूमिनेंस कॉन्ट्रास्ट हो।